

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/गुक0-01-16/2012-1581/

रॉंची, दिनांक :- 12-3-13/

अधिसूचना:-

डब्ल्यूपी०(एस०) सं०-6741/2012 श्री श्याम किशोर प्रसाद सिंह वनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.12.2012 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉंची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री श्याम किशोर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (आई०डी० 3314, जन्म-तिथि-01.10.1962, गृह जिला-बेगुसराय), झारखण्ड शिक्षा परियोजना की सेवा जल संसाधन विभाग (पैत्रिक विभाग), झारखण्ड, रॉंची में वापस लेते हुए पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)
12-3-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)
12-3-13

पत्रांक:- 2/गुक0-01-16/2012-1581/

रॉंची, दिनांक :- 12-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉंची/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/माननीय परामर्शी के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो प्रतियाँ में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रॉंची/अभियंता प्रमुख-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/संबंधित सहायक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/यो., 7/ब., 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)
12-3-13